# THE HARYANA FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2022

A

#### **BILL**

further to amend the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventythird Year of the Republic of India as follows:-

# Short title and commencement.

- 1. (1) This Act may be called the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2022.
- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1<sup>st</sup> April, 2021.

Amendment of section 9 of Haryana Act 6 of 2005.

- 2. For clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 9 of the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, the following clauses shall be substituted, namely:-
  - "(a) attain the revenue deficit as percentage to GSDP in vogue in that particular year as recommended by the Central Finance Commission and approved by the Government of India;
  - (b) achieve the fiscal deficit as percentage to GSDP in vogue in that particular year as recommended by the Central Finance Commission and approved by the Government of India;
  - (c) ensure that the outstanding debt as percentage to GSDP in vogue in that particular year as recommended by the Central Finance Commission and approved by the Government of India:

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits, specified by the Government of India from time to time, on the ground of unforeseen demands on the finances of the State Government arising out of internal disturbance or natural calamity or national security or such other exceptional ground as the State Government may specify:

Provided further that a statement in respect of the ground specified in the first proviso shall be placed before the House of the State Legislature, as soon as may be, after such deficit amount exceeds the targets;".

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS** 

As per recommendations of 12<sup>th</sup> Finance Commission, the State Government had enacted

Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 vide notification dated 6<sup>th</sup> July 2005

with an objective to eliminate revenue deficit and to reduce the fiscal deficit within the prescribed limit.

As per this Act, the revenue deficit was to be brought to zero by 2008-09 and the limit of fiscal deficit

was kept at maximum of 3% of Gross State Domestic Product (GSDP). The condition for bringing

Revenue Deficit to zero was relaxed for 2008-09 and 2009-10. With regard to Fiscal Deficit, in view of

Ministry of Finance, Government of India Guidelines for Debt Consolidation and Relief Facility (DCRF) the

target was relaxed from 3% to 3.5% of GSDP for 2008-09 and from 3.5% to 4% of GSDP for 2009-10. As

per Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 the limit of outstanding total debt

including contingent liability was 28% of the estimated Gross State Domestic Product (GSDP) from 2005-

06 to 2009-10.

2. As per recommendations of the 13<sup>th</sup> Finance Commission and Ministry of Finance, Government

of India Guidelines, the State was to attain target of zero revenue deficit from 2011-12 to 2014-15 and

fiscal deficit at 3% of GSDP during 2010-11 to 2014-15. The outstanding debt as percentage of GSDP

were required as 22.4% in 2010-11, 22.6% in 2011-12, 22.7% in 2012-13, 22.8% in 2013-14 and 22.9% in

2014-15. As per 14<sup>th</sup> Finance Commission, the State was to attain Zero revenue deficit target, fiscal

deficit at 3% of the GSDP and to maintain the debt liability at 25% of the GSDP.

3. In view of COVID-19 pandemic during 2020-21, as per Ministry of Finance, Government of India

letter dated 17 May 2020, the State Government was allowed to avail 2% additional borrowing of the

GSDP over and above the target of 3% of the GSDP (up to 5% of GSDP in the year 2020-21) subject to

implementation of State Specific Reforms. Accordingly, the amendment in the Haryana Fiscal

Responsibility and Budget Management Act, 2005 was made.

4. The objective of making further amendment in the Haryana Fiscal Responsibility and Budget

Management Act, 2005 is to align the State FRBM Act targets with the fiscal parameters in vogue in a

particular year as recommended by the Fifteenth Finance Commission and approved by the Government

of India.

5. In view of the Ministry of Finance, Government of India Explanatory Memorandum dated 1st

February, 2021 as to the Action Taken on the Recommendations made by the Fifteenth Finance

Commission in its final Report regarding Fiscal Roadmap and to align Fiscal parameters of the State in

vogue in a particular year, further amendment in Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management

Act, 2005 is required.

(MANOHAR LAL)
CHIEF MINISTER, HARYANA.

-----

#### **FINANCIAL MEMORANDUM**

State Government has already amended its FRBM Act in 2020 to align with the fiscal deficit limit of 5% of the Gross State Domestic Product (GSDP) allowed by the Government of India for the year 2020-21 subject to carry out of certain reforms. However, the State Government has maintained the fiscal deficit limit below 3% of GSDP in 2020-21 and the same is within the prescribed limit indicated in the amended FRBM Act of the State. During 2021-22, the State Government can avail borrowing upto 4% of GSDP amounting to Rs. 33,682 crore as per recommendations of the 15<sup>th</sup> Finance Commission and approval of the Ministry of Finance, Government of India.

In order to align the State FRBM Act with the fiscal parameters in vogue in a particular year as recommended by the Central Finance Commission and approved by the Government of India from time to time, the proposed enactment of Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2022 is to:

- (a) attain the revenue deficit as percentage to GSDP in vogue in that particular year as recommended by the Central Finance Commission and approved by the Government of India;
- (b) achieve fiscal deficit as percentage to GSDP in vogue in that particular year as recommended by the Central Finance Commission and approved by the Government of India;
- (c) ensure that the Outstanding Debt as percentage to GSDP in vogue in that particular year as recommended by the Central Finance Commission and approved by the Government of India.

As per recommendations of the 15<sup>th</sup> Finance Commission and guidelines of Government of India, State Government can avail the borrowing upto 4% in year 2021-22, 3.5% in 2022-23, and 3% each for year 2023-24 to 2025-26 of the Gross State Domestic Product. Accordingly, the amendment in Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is required.

प्राधिकृत अनुवाद

2022 का विधेयक संख्या 16 एच.एल.ए.

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2022 हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

अधिनियम, 2005, को आगे संशोधित

करने के लिए

### विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

- 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।
  - (2) यह प्रथम अप्रैल, 2021 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 9 का संशोधन।

- 2. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 9 की उप—धारा (2) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
  - ''(क) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उस विशिष्ट वर्ष में प्रचलित जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतता के अनुसार राजस्व घाटा प्राप्त करेगी ;
    - (ख) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उस विशिष्ट वर्ष में प्रचलित जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतता के अनुसार राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी ;
    - (ग) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उस विशिष्ट वर्ष में प्रचलित जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतता के अनुसार बकाया ऋण सुनिश्चित करेगी :

परन्तु राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, आंतरिक अशांति या प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय सुरक्षा या ऐसे अन्य अपवादिक आधार, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, से उत्पन्न होने वाली राज्य सरकार की अप्रत्याशित वित्तीय मांग के आधार पर भारत सरकार द्वारा, समय—समय पर, विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकता है:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार के संबंध में विवरण, लक्ष्यों से ऐसी घाटा राशि के अधिक होने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा;"।

# उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को खत्म करने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा तक कम करने के उद्देश्य से दिनांक 6 जुलाई, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, अधिनियमित किया था। इस अधिनियम के अनुसार, वर्ष 2008–09 तक राजस्व घाटे को शून्य पर लाया जाना था और राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3 प्रतिशत तक रखी गई थी। राजस्व घाटे को शून्य तक लाने की शर्त में वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 के लिए ढील दी गई थी। राजकोषीय घाटे के सम्बन्ध में, ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के मद्देनजर लक्ष्य में वर्ष 2008–09 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2009–10 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की छूट दी गई थी। हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार वर्ष 2005–06 से लेकर वर्ष 2009–10 तक आकरिमक दायित्वों सहित बकाया कुल ऋण की सीमा अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28 प्रतिशत थी।

- 2. तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा—िनर्देशों के अनुसार, राज्य को वर्ष 2011—12 से वर्ष 2014—15 तक राजस्व घाटे को शून्य तथा वर्ष 2010—11 से वर्ष 2014—15 के दौरान राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करना था। वर्ष 2010—11 में बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.4 प्रतिशत, वर्ष 2011—12 में 22.6 प्रतिशत, वर्ष 2012—13 में 22.7 प्रतिशत, वर्ष 2013—14 में 22.8 प्रतिशत तथा वर्ष 2014—15 में 22.9 प्रतिशत रखा जाना था। चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार, राज्य को राजस्व घाटे को शून्य तक लाना, राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक, बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत तक रखना था।
- 3. कोविड—19 महामारी के मद्देनजर, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17 मई, 2020 के अनुसार, राज्य सरकार वित वर्ष 2020—21 के दौरान अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की सीमा के अतिरिक्त 2 प्रतिशत ऋण और (वर्ष 2020—21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत तक) राज्य विशिष्ट सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन ले सकती थी। तदानुसार, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में संशोधन किया गया था।
- 4. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में आगे संशोधन का उद्देश्य अधिनियम के लक्ष्यों को पंद्रहवे वित आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमोदित किसी विशेष वर्ष में प्रचलित वित्तीय मानकों के साथ संरेखित करना है।
- 5. राजकोषीय रूपरेखा के संबंध में पंद्रहवें वित आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के रूप में वित मंत्रालय, भारत सरकार के व्याख्यात्मक ज्ञापन दिनांक 1 फरवरी, 2021 को ध्यान में रखते हुए, राज्य के वित्तीय मानकों को एक विशिष्ट वर्ष में संरेखित करने के लिए हिरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में और संशोधन की आवश्यकता है।

मनोहर लाल मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ः दिनांक 21 मार्च, 2022 आर. के. नांदल, सचिव।

## वित्तीय ज्ञापन

राज्य सरकार द्वारा कुछ सुधारों को पूरा करने के लिए वित वर्ष 2020—21 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रचलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) के 5 प्रतिशत की राजकोषीय घाटे की सीमा के साथ संरेखित करने के लिए वर्ष 2020 में अपने हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, में पहले ही संशोधन कर दिया है। हालांकि, राज्य सरकार ने वर्ष 2020—21 में राजकोषीय घाटे की सीमा को जी०एस०डी०पी० के 3 प्रतिशत से कम बनाए रखा है और यह राज्य के संशोधित हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, में निर्दिष्ट सीमा के भीतर है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और वित मंत्रालय, भारत सरकार के समय समय पर अनुमोदन अनुसार राज्य सरकार वर्ष 2021—22 के दौरान जी०एस०डी०पी० के 4 प्रतिशत तक ऋण ले सकती है, जिसकी राशि रूपये 33,682.00 करोड है।

केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमोदित, उस विशिष्ट वर्ष में प्रचलित वित्तीय मानकों के साथ हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को संरेखित करने के लिए, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन(संसोधन) विधेयक, 2022 प्रस्तावित है:

- (क) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उस विशिष्ट वर्ष में प्रचलित जी०एस०डी०पी० की प्रतिशता के अनुसार राजस्व घाटा प्राप्त करेगी:
- (ख) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उस विशिष्ट वर्ष में प्रचलित जीoएसoडीoपीo की प्रतिशता के अनुसार राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी;
- (ग) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उस विशिष्ट वर्ष में प्रचलित जी०एस०डी०पी० की प्रतिशता के अनुसार बकाया ऋण सुनिश्चित करेगी:

15वें वित आयोग की सिफारिशों और भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार वर्ष 2021—22 में 4 प्रतिशत तक, 2022—23 में 3.5 प्रतिशत और वर्ष 2023—24 से 2025—26 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक ऋण ले सकती है। तदानुसार, हिरयाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन की आवश्यकता है।